

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया(म.प्र.)

टेलीफोननं. 07522-234001

Website- www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com &

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44,

जिला दतिया, म.प्र. पिनकोड 475661

क्रमांक-10910/स्था.राज/द.चि.म./2024

दतिया, दिनांक- 19/12/2024

// विज्ञप्ति सूचना //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप एफ 2-53/2017/1/55, दिनांक 12/01/2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 1105 एफ 2-45/2010/1/55, भोपाल दिनांक 24/07/2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में एन.एम.सी. /एम. सी. आई. के मापदण्ड अनुसार Recognition के प्रतिपूर्ति के क्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल द्वारा सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पद की पदोन्नति के पदों हेतु जारी की गई शैक्षणिक संवर्ग की नवीन अनुसूची दिनांक 11/04/2022 अनुसार स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त पदोन्नति के सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के निम्न पदों की पूर्ति करने हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक एवं शासन/एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित अद्यतन टी.ई.क्यू. फरवरी 2022 एवं यू.जी. एम.एस.आर.-2020/2023 विनियमावली अनुसार पात्र चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।


आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 20/01/2025 साय: 6 :00 तक अधिष्ठाता कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की वेबसाइट www.datiamedicalcollege.com पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, म.प्र. में जमा कराये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र. में "शैक्षणिक संवर्ग हेतु" आवेदन एवं विषयतथा आवेदित पद का नाम और अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी.....का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन शुल्क रूपये 1000/- (अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) रूपये 750/- (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट - Government Medical College Autonomous Society Datia के नाम से देय होगा अथवा ऑनलाइन पेमेंट (NEFT) के माध्यम से भुगतान कर भुगतान की पावती / डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

संस्था का खाता क्रमांक- 0638001700062928, IFSC Code- PUNB0063800.

अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में से पात्र अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।


19/12/24
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया(म.प्र.)

टेलीफोननं. 07522-234001

Website- www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com &

पता - 29बटालियन के पास, एन.एच. 44,

जिलादतिया, म.प्र. पिनकोड 475661

क्रमांक-10906/स्था.राज/द.चि.म./2024

दतिया, दिनांक- 19/12/2024

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप एफ 2-53/2017/1/55, दिनांक 12/01/2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 1105 एफ 2-45/2010/1/55, भोपाल दिनांक 24/07/2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में एन.एम.सी. /एम. सी. आई. के मापदण्ड अनुसार Recognition के प्रतिपूर्ति के क्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल द्वारा सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पद की पदोन्नति के पदों हेतु जारी की गई शैक्षणिक संवर्ग की नवीन अनुसूची दिनांक 11/04/2022 अनुसार स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त पदोन्नति के सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के निम्न पदों की पूर्ति करने हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक एवं शासन/एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित अद्यतन टी.ई.क्यू. फरवरी 2022 एवं यू.जी. एम.एस.आर.-2020/2023 विनियमावली अनुसार पात्र चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

तालिका-1-सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति में शामिल किये जाने पदोन्नति के रिक्त पदों का विवरण-

स. क्र.	विभाग	प्राध्यापक				सह-प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनेस्थिसिया	1	0	0	0	0	0	0	0
2	आटो रिहनो लरग्योलॉजी (ENT)	1	0	0	0	0	0	0	0
3	ईमरजेंसी मेडिसिन	1	0	0	0	1	0	0	0
4	जनरल मेडिसिन	1	0	0	0	0	0	0	0
5	पी.एम.आर.	1	0	0	0	1	0	0	0
6	रेडियोडायग्नोसिस	1	0	0	0	1	0	0	0
	TOTAL	6	0	0	0	3	0	0	0
	GRAND TOTAL= 09				06				03

रिक्त पदों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में प्रभावशाली पदोन्नति आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के वर्तमान में प्रभावशाली शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम-2018 जो कि स्वशासी संस्थाओं पर लागू है, के अनुसार विज्ञप्ति जारी किये जाने पर शर्तें निम्नानुसार रहेंगी:-

- पदोन्नति के पदों हेतु नियुक्तियाँ, पदोन्नति आरक्षण नियमों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होगी।
- पदोन्नति/सीधी भर्ती के रिक्त पदों में कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी मध्यप्रदेश स्वशासी शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 में नियम 3(ग) के अंतर्गत जारी अनुसूची क्रमांक 2 की टीप क्रमांक 2 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।
- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC - अनुसूचित जाति, ST - अनुसूचित जनजाति, OBC - अन्य पिछड़ा वर्ग, B- बैकलॉग पद उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।
- पदों की संख्या कम/अधिक की जा सकती है।
- विज्ञप्ति की शर्तों में कभी भी संशोधन किया जा सकेगा।

1. शैक्षणिक अर्हतायें :-

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित अर्हता एवं अनुभव दिनांक 14 फरवरी 2022 के अनुसार।
- टीप:-उन सभी विषयों में जहाँ पर एन.एम.सी. द्वारा नॉन मेडिकल डिग्री योग्यताधारी अभ्यर्थियों को टी.ई.यू. पात्रता नियमावली सम्मिलित किया गया है उन विषयों में एन.एम.सी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित एन.एम.सी. अधिसूचना दिनांक 14/02/2022 एवं Minimum Requirement For Annual MMBS Admission Regulation 2023 अधिसूचना दिनांक 16/08/2023 द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के संबंधित विभागों में वर्तमान में कार्यरत नॉन मेडिकल डिग्रीधारी फ़ैकल्टी की गणना कर मेडिकल एवं नॉन मेडिकल फ़ैकल्टी दोनों के अनुपात के आधार पर ही नॉन मेडिकल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के आवेदनों को विचारण क्षेत्र में रखा जावेगा।
- आयु सीमा एवं वेतनमान :-

स. क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधितम आयु सीमा	वेतनमान
1	प्राध्यापक	35 वर्ष	62 वर्ष	अकादमिक स्तर -14, मैट्रिक्स वेतन -1,44,200 /- (6वें वेतनमान 37400-67000 + ग्रेड-पे 10000 + डी.ए.के. अनुरूप)
2	सह-प्राध्यापक	30 वर्ष	62 वर्ष	अकादमिक स्तर -13 A, मैट्रिक्स वेतन -1,31,400 /- (6वें वेतनमान 37400-67000 + ग्रेड-पे 9000 + डी.ए.के. अनुरूप)

टीप :- आयु की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आधार मानकर गणना में ली जावेगी। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र :- आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

• अर्हतायें :-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा शैक्षणिक पद पर विशेष के लिए निर्धारित अर्हता, आवेदन करने की पात्रता उन्ही चिकित्सकों की मान्य होगें, जो शासन/एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित अद्यतन टी.ई.क्यू नियमावली./मापदण्ड अनुसार अर्हताएँ पूरी करते हो/करती हों एवं अर्हताएँ पूर्ण करने की अंतिम तिथि विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि को माना जावेगा।

• **निरहतायें :-**

1. विकृत चित्त वाला होने पर।
2. दुष्चरित्र होने पर।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
4. नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास /अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जाएगा।
5. विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नि/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। दिनांक 26/01/2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित संतानों की संख्या 02 से अधिक हो, वह चयन के लिए अपात्र होंगे, परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा दिनांक 26/01/2001 के पश्चात आगामी प्रसव में दो या अधिक संतानों का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।
6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
7. कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्ध ठहराया गया हो।
8. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध हुआ हो।
9. स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।


• **अन्य शर्तें**

1. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हों सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण -पत्र नहीं लेना होगा।
2. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय -समय पर सौंपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
3. आवेदक का चयन होने पर उससे 65 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवा देनी होगी। आवेदक को इस बावत सम्यक रूप से स्टांपित एक बॉण्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
4. 03 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि/बाण्ड अवधि पूर्ण होने के पश्चात, आपकी सेवायें किसी भी समय महाविद्यालय अथवा आपके द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है।

5. यह नियुक्ति इस स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी संस्था अपनी सेवा शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।
6. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होंगी।
7. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा म.प्र. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिए आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
8. म.प्र. शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
9. चयनित चिकित्सक का एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एम.टी./ नीट यू.जी प्रवेश परीक्षा एवं एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्री पी.जी. /नीट पी.जी. प्रवेश परीक्षा से संबंधित भर्ती घोटाले/फर्जीवाड़े में किसी भी स्तर पर आपकी संलिप्तता पाई जाती है अथवा आपके विरुद्ध कार्यवाही लंबित/प्रचलन में पाई जाती है तो आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी, और ऐसी स्थिति में आपको आहरित किया हुआ वेतन एवं अन्य भत्ते 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से शासकीय कोष में जमा कराई जावेगी।
10. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र. हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20/01/2025 सायं 06:00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र. में प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्ति गत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. में चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञापित में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com पर उपलब्ध है।
14. प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के पद पर इन-हाउस भर्ती हेतु मेरिट निर्धारण में उपयोग में लाई जाने वाली प्रोराटा का उपयोग मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1105/एफ 2-45/2010/1/55, भोपाल दिनांक 24/07/2024 द्वारा निर्धारित प्रपत्र-“ब” एवं “स” को उपयोग में लाया जावेगा, जो कि संस्था के आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।
15. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com पर उपलब्ध है।

नोट:- आवेदन शुल्क रूपये 1000/- (अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) रूपये 750/- (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट - Government Medical College Autonomous Society Datia के नाम से देय होगा अथवा ऑनलाइन पेमेंट NEFT के माध्यम से भुगतान कर भुगतान की पावती / डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। संस्था का खाता क्रमांक- 0638001700062928, IFSC Code- PUNB0063800.

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हताओं की जाँच स्वयं कर लें और अर्हतायें की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच नहीं हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया म.प्र.।

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया(म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-234001

Website- www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com &

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

आवेदक का प्रारूप

(अंतिम तिथि 20/01/2025)

नवीनतम
स्वप्रमाणित
फोटो

पद विषय विज्ञप्ति क्र. एवं दिनांक.....
आवेदित श्रेणी-..... (जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है)

नोट :- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावें।

1. आवेदक का नाम
2. महिला / पुरुष
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल / संस्थान
5. वर्तमान संस्थान जहां कार्यरत है प्रायवेट है या शासकीय है
6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)
7. शहर का नाम फोन नं
मोबाइल नं ई-मेल आईडी
8. स्थाई पता (पिनकोड सहित)
9. शहर का नाम फोन नं
मोबाइल नं ई-मेल आईडी
10. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
11. जन्मतिथि (हाईस्कूल अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
12. दिनांक 20/01/2025 को आवेदक की आयु दिन माह वर्ष
13. आवेदक की वैवाहिक स्थिति - विवाहित / अविवाहित
14. विवाह का दिनांक
15. विवाह के समय आपकी उम्र वर्ष माह दिन
16. पति / पत्नी की उम्र वर्ष माह दिन
17. आपके बच्चों की संख्या
18. यदि बच्चों की संख्या 02 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक
19. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग
20. (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
नोट :- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी न होने की स्थिति में वर्ग अनारक्षित लिखें।
21. मेडिकल काउन्सिल / डेन्टल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
22. अ. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.
23. ब. एमडी / एमएस / एम.डी.एस.
24. स. एमसीएच / डीएम

18. शैक्षणिक योग्यताएँ :- (प्रमाण -पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक / प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
MBBS/ BDS/ MSc First Prof.						
MBBS/ BDS/ MSc Second Prof.						
MBBS/ BDS/ MSc Final Part I						
MBBS/ BDS/ MSc Final Part II						
MD/MS/ DNB/ MCH/DM/ MDS/ Ph D						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक -पृथक भरे)

नोट :- प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

For D.N.B. candidates:-

D.N.B. course duration(in years)	Number of beds in teaching Hospital where D.N.B.course was conducted	Eligibility of D.N.B. guide's/supervisor's asPG teacher as per MCI/NMC TEQ	Post D.N.B. S.R. ship/Research Associate (CISR) in MCI recognized /permitted institution(required for acquiring/ gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ)	Remarks of Scrutiny committee(regarding D.N.B.candidate /applicant fulfilling/not fulfilling criteria for equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ)	Remarks of Selection committee (regarding D.N.B.candidate /applicant fulfilling/ not fulfilling criteria for equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ)
D.N.B. candidate after acquiring/gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ, further one year SR/Tutor in concerned subject/specialty in MCI/NMC recognized /permitted institution in accordance with MCI/NMC TEQ amendment dated 14 th Feb 2022 :-					

19. शैक्षणिक अनुभव :-

Post	Name of Institute	Institute : Medical College or Dental College or any other Stream	Recognized/Permitted by MCI/NMC(Yes/No) (If permitted mention date of LOP)	From	To	Duration
Professor						
Associate Professor						
Assistant Professor						
SR/ Tutor (Post PG)						
PG Resident						

*1. Medline, 2. Pubmed Central, 3. Citation Index 4. Science Citation Index, 5. Expanded Embase, 6. Scopus, 7. Directory of Open Access Journals (DoAJ).

Total number of Case Series Papers published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-

S.No.	Publication Title and Type of Article	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Associate Prof/Asst. Prof/ PG	Author number First/Second Third /Corresponding Author	Indexed in (as per MCI/NMC Norms*) & P-ISSN no.	Journal type National (N)/International (I), Print/E online Journal	Approval as per MCI/NMC Norms*/Comment of Scrutiny Committee	Approval as per MCI/NMC Norms*/Comment of Subject Expert
	1	2	3	4	5	6		
1								
2								
3								
4								

*1. Medline, 2. Pubmed Central, 3. Citation Index 4. Science Citation Index, 5. Expanded Embase, 6. Scopus, 7. Directory of Open Access Journals (DoAJ).

21- Other Information :-

Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC .	
Revised Basic Course in MET, AT-COM, CISP from institution designated by MCI/NMC .	
Principal Investigator/Co Principal Investigator in Research Project of ICMR/DST/DBT/Any National Research Body, in lieu of Publication/authorship	
Good Clinical Practice workshop	
Written book/Chapter in book	
Editor/Member of Editorial board	
Membership of Scientific society	
Organized Conference(National/State)	
Awarded for	
Fellowship	
Scientific Paper/Poster Presentations at Conference/CME /CDE:	

22. Details of Application Fees (Bank Name, D.D. Number & Amount).....

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की संपूर्ण सूची :- (Whichever applicable)

- 1- 1st M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
- 2- 2nd M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
- 3- Final MBBS Part I./B.D.S./M.Sc. Marksheet
- 4- Final MBBS Part II./B.D.S./M.Sc. Marksheet
- 5- M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Degree Certificate
- 6- M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Attempt Certificate
- 7- M.B.B.S./B.D.S. Registration Certificate
- 8- M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Mark sheet Certificate
- 9- M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Degree Certificate
- 10- M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Attempt Certificate
- 11- M.S./M.D./D.N.B/M.D.S. Registration Certificate
- 12- AT-COM, Revised Basic Course in MET, CISP from institution designated by MCI/NMC
- 13- Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC
- 14- Professor in Medical College Teaching Experience Certificate
- 15- Designate Professor in Medical College Teaching Experience Certificate
- 16- Associate Professor in Medical College Teaching Experience Certificate
- 17- Government District Hospital Service Experience Certificate in concerned subject/department(as per MCI/NMC rules)

- 18- Assistant Professor in Medical College Teaching Experience Certificate
- 19- S.R./ Tutor(Post PG) in concerned subject in Medical College Teaching Experience Certificate
- 20- PG Resident Experience Certificate
- 21- Internship completion certificate
- 22- Tenth Mark sheet/Certificate or Birth Certificate
- 23- Adhar Card
- 24- PAN Card
- 25- Copies of Research Publication
- 26- Copies of Chapters in Books
- 27- Conference/CDE/CME attended
- 28- Papers/Poster presented at Conference/CDE/CME

नोट :- आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी हेतु 1000 रुपये /-(एक हजार रुपये मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी (ST,SC,OBC) हेतु 750 रुपये /- Demand Draft :- Government Medical College Autonomous Society Datia (M.P.) के नाम से देय होगा।

Name & Signature of Candidate

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया(म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-234001

Website- www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com &

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

100 रूपये के स्टाम्प पर नोटराइज

// घोषणा - पत्र //

1. मैं घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र /नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जॉच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता /करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचारधीन है।
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विरुद्ध एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एम.टी./नीट यू.जी. प्रवेश परीक्षा एवं एम.डी/एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्री पी.जी./नीट पी.जी. प्रवेश परीक्षा से संबंधित भर्ती घोटाले/फर्जीवाड़े में किसी भी स्तर पर कार्यावाही लंबित/प्रचलन में नहीं है।
5. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित मेरी श्रेणी सही/सत्य है एवं विज्ञापित पद हेतु मान्य है।
6. मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज सत्य एवं सही है, नियुक्ति पश्चात् शिकायत आने पर या सत्यापन किये जाने पर कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य अथवा फर्जी कूटरचित पाया गया तो बिना किसी कारण पद से पृथक किया जायेगा और आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने कार्यावाही की जायेगी।

स्थान

दिनांक

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया(म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-234001

Website- www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com &

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

500 रुपये के स्टाम्प पर नोटराइज

// शपथ पत्र //

1. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पिता/पति श्री.....उम्र.....वर्ष, निवासी है। यह शपथ पत्र मेरे द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया द्वारा शैक्षणिक संवर्ग हेतु जारी विज्ञप्ति आदेश क्रमांक/स्था.राज/द.चि.म./20..... दतिया दिनांक .. के परिपालन में.....पद हेतु जीवित संतानों के संबंध में प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यह कि, मैं विवाहित/अविवाहित हूँ। मेरा विवाह दिनांक को हुआ है। आज दिनांक की स्थिति में मेरे कुलजीवित संतान है एवं मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार दिनांक 26/01/2001 के पश्चात् जीवित संतान की संख्या 02 से अधिक नहीं है। प्रथम बच्चे का जन्म दिनांक.....है एवं द्वितीय बच्चे का जन्म दिनांक..... है।
3. यह कि, मेरे द्वारा आवेदित पद हेतु नियुक्ति के लिए आवश्यक पात्रता हेतु समय समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26/01/2001 के पश्चात मुझे कोई तीसरी संतान प्राप्त नहीं है।
4. इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी के असत्य पाये जाने की दशा में मेरे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जाकर मुझे सेवा से पृथक किया जा सकेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

साक्षी 1.

साक्षी 2.

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

भोपाल, दिनांक 24/07/2024

आदेश

क्रमांक 1105 एफ 2-45/2010/1/55: राज्य शासन एतद् द्वारा चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.12.2022 एवं 19.05.2023 को अधिकमित करते हुये अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश चिकित्सा सेवा राजपत्रित भर्ती नियम 2023 तथा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक संवर्ग हेतु प्रपत्र "अ" "ब" "स" एवं "द" रिक्त पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा-निर्देश/मापदण्ड निम्नानुसार है :-

1. चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में पदोन्नति/सीधी भर्ती के पद हेतु मूल स्वशासी संस्था के अधीन पदस्थ होकर कार्यरत अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन-हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
स्वशासी संस्था के संबंधित विभाग में अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर ही ओपन विज्ञप्ति जारी की जायेगी।
2. इन-हाउस अभ्यर्थी के रूप में केवल वही अभ्यर्थी मान्य होगा, जिसके मूल नियोक्ता संस्था द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई हो। भले ही वह अभ्यर्थी वर्तमान अथवा तत्समय किसी अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो। अर्थात् विज्ञप्ति जारी करने वाली संस्था में बतौर इन-हाउस अभ्यर्थी उसी संस्था का मूलतः नियुक्त अभ्यर्थी ही मान्य होगा।
3. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभ्यर्थी को प्रतिनियुक्ति में नियुक्त संस्था का इन-हाउस अभ्यर्थी मान्य नहीं किया जायेगा। वह अभ्यर्थी अपनी मूल नियोक्ता संस्था में ही इन-हाउस अभ्यर्थी मान्य किया जायेगा। उपरोक्त बिन्दुओं को निम्न उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है:-

उदाहरण अ:-

- i- चिकित्सा शिक्षक X की नियुक्ति स्वशासी संस्था ABC में मूल रूप से हुई थी।
- ii- चिकित्सा शिक्षक X प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य स्वशासी संस्था DEF में पदस्थ होता है।
इस प्रकरण में स्वशासी संस्था DEF द्वारा इन-हाउस विज्ञप्ति निकाली जाती है तो चिकित्सा शिक्षक X स्वशासी संस्था DEF द्वारा जारी इन-हाउस विज्ञप्ति में इन-हाउस अभ्यर्थी मान्य नहीं किया जाएगा।

उदाहरण ब:-

- i- चिकित्सा शिक्षक X की नियुक्ति स्वशासी संस्था ABC में मूल रूप से हुई थी।
- ii- चिकित्सा शिक्षक X प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य स्वशासी संस्था DEF में पदस्थ होता है।
इस प्रकरण में स्वशासी संस्था ABC द्वारा इन-हाउस विज्ञप्ति निकाली जाती है तो चिकित्सा शिक्षक X स्वशासी संस्था ABC द्वारा जारी इन-हाउस विज्ञप्ति में इन-हाउस अभ्यर्थी मान्य किया जाएगा। एवं इस हेतु चिकित्सा शिक्षक X का प्रतिनियुक्ति संस्था DEF में किये गये शैक्षणिक कार्य का शैक्षणिक अनुभव मान्य किया जाएगा।

उदाहरण स:-

- i- चिकित्सा शिक्षक X की नियुक्ति स्वशासी संस्था ABC में मूल रूप से हुई थी, जिसने उसने वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति की पात्रता हेतु निर्धारित समय अवधि तक कार्य किया।
- ii- चिकित्सा शिक्षक X अपनी नौकरी से त्याग-पत्र देकर अन्य स्थान पर सेवार्थे देने चला गया है।

निरंतर.....2

Handwritten signature

इस प्रकरण में स्वशासी संस्था ABC द्वारा इन-हाउस विज्ञप्ति निकाली जाती है तो चिकित्सा शिक्षक X स्वशासी संस्था ABC द्वारा जारी इन-हाउस विज्ञप्ति में इन-हाउस अभ्यर्थी मान्य नहीं किया जाएगा।

- 4. साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञ राज्य शासन के बाहर से मनोनीत होंगे। साक्षात्कार समिति में संबंधित संस्था से कोई विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नहीं होगा।

चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:-

- A. अध्यक्ष, संबंधित स्वशासी संस्था।
 - B. अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।
 - C. आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि।
 - D. राज्य शासन के बाहर से मनोनीत 02 प्राध्यापक स्तर के विषय विशेषज्ञ।
5. उपरोक्त प्रस्तावित नियम, इन्हें जारी किये जाने के दिनांक से ही लागू किये जायेंगे। पूर्व में की गई नियुक्तियों को इन नियमों के अनुसार चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

अतः उक्त अनुसार कार्यवाही किये जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न:- परिशिष्ट- "अ" "ब" "स" एवं "द"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मयंक अग्रवाल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 24/07/2024

पृ0 कमांक 1106 एफ 2-45/2010/1/55:

प्रतिलिपि:-

- 1. निज सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 5. निज सचिव, सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, म0प्र0
- 7. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म0प्र0।
- 8. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल, म0प्र0।
- 9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म0प्र0।
- 10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया, छिदवाडा।
- 11. प्राचार्य, स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश।

2/10/24



उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्राध्यापक पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोरेटा (साक्षात्कार के माध्यम से)

प्रपत्र "ब"

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 15 अंक यू.जी. पाठ्यक्रम अंक	कुल 20 अंक पी.जी. पाठ्यक्रम अंक -	कुल 10 अंक शोध अनुभव -	कुल 20 अंक शैक्षणिक अनुभव -	कुल 10 अंक शोध प्रस्तुतीकरण- राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण पर 02 अंक एवं प्रत्येक केस रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण हेतु 01 अंक एवं शोध पत्र प्राप्त पुरस्कार हेतु 04 अंक।	कुल अंक 05 माध्यप्रदेश शासकीय/स्वशासी विज्ञान महाविद्यालयों में की गई शासकीय सेवा हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 01 अंक।	कुल 20 अंक *साक्षात्कार	कुल प्राप्त अंक (.../100)
1		अधिकतम- 15 अंक	अधिकतम- 20 अंक	अधिकतम- 10 अंक	अधिकतम- 20 अंक	अधिकतम-10 अंक	अधिकतम-05 अंक	अधिकतम-20 अंक	
2		3	4	5	6	7	8	9	

नोट-

- उक्त प्रोरेटा अर्हता का मापदण्ड नहीं है। अर्हताओं हेतु एन.एम.सी द्वारा प्रचलित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अर्हताओं की गणना किये जाने में एन.एम.सी के नियमानुसार शोधपत्र माध्यम से अर्हताओं को अर्हताओं की गणना संबंधी दिशा निर्देश केवल आंतरिक प्रोरेटा के गणना हेतु है।

(पब्लिक अकादमी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विश्वविद्यालय एवं विज्ञान शिक्षा

सह प्राध्यापक पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोरेटा (साक्षात्कार के माध्यम से)
अधिकतम अंक 100

प्रपत्र संख्या

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 15 अंक यू.जी. पाठ्यक्रम अंक	कुल 20 अंक पी.जी. पाठ्यक्रम अंक -	कुल 10 अंक शोध अनुभव --	कुल 20 अंक शैक्षणिक अनुभव - एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव (सहायक अनुभव/सह प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे	कुल 10 अंक शोध प्रस्तुतीकरण- राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रस्तुतीकरण पर 02 अंक एवं प्रत्येक रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण हेतु 01 अंक एवं शोध पत्र प्रस्तुतीकरण पर प्राप्त पुरस्कार हेतु 04 अंक।	कुल अंक 05 मध्यप्रदेश शासकीय/ स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में की गई नियमित शासकीय सेवा हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 01 अंक।	कुल 20 अंक साक्षात्कार	कुल प्राप्त अंक (...../100)
1		अधिकतम- 15 अंक	अधिकतम- 20 अंक	अधिकतम- 10 अंक	अधिकतम- 20 अंक	अधिकतम- 10 अंक	अधिकतम- 05 अंक	अधिकतम- 20 अंक	
2		3	4	5	6	7	8		9

नोट-

- उक्त प्रोरेटा अर्हता का मापदण्ड नहीं है। अर्हताओं हेतु एन.एम.सी. द्वारा प्रचलित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अर्हताओं की गणना किये जाने में एन.एम.सी. के नियमानुसार शोधपत्र मान्य किये जाएंगे। उपरोक्त तालिका में शोध पत्र की गणना संबंधी दिशा निर्देश केवल आंतरिक प्रोरेटा के गणना हेतु है।

AK

7

(सहक आयोजक)

उप सचिव

व्यवस्थापक

सहायक आयोजक